माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर (तृतीय)

जयपुर राजस्थान

राव धनबीर सिंह नंबरदार

बनाम

तहसीलदार (अभिलेख संरक्षक) तहसील पांवटा,
जिला कोटपूतली बहरोड.(राज.)

दस्तावेजों की सूची

क्रमांक	दस्तावेज़	प्रष्ठ संख्या
	दस्तावेज सूचि	00-01
	परिवाद अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019	02-05
	शपथ-पत्र	00-06
अनुलग्नक 1	मूल आवेदन साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत	07-08
अनुलग्नक 2	शुल्क प्रतिलिपि(₹कुल 10 + ₹90=100₹)	00-08
अनुलग्नक 3	प्रथम विधिक नोटिस	09-10
अनुलग्नक 4	द्वितीय विधिक नोटिस	11-12
अनुलग्नक 5	पत्र क्रमांक 367	00-13
अनुलग्नक 6	जबाब ई-मेल रशीद	00-14
अनुलग्नक 7	वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 14 UJ 1830 _जबाब-१	15-21
अनुलग्नक 8	पत्रांक / रीडर /2024/ 280 दिनांक 16 अक्टूबर 2024 _जबाब-३	00-22
अनुलग्नक 9	पत्रांक – रीडर/ 2024/ 307 दिनांक 21 अक्टूबर 2024 _जबाब-४	00-23
अनुलग्नक 10	फर्द मौका दिनांक 25 अक्टूबर 2024 _जबाब-६	24-25

राव धनबीर सिंह नंबरदार

माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर (तृतीय) जयपुर राजस्थान

परिवाद संख्या-   / 2024

राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र श्री राव देशराज सिंह ,बकौम-यादव, उम्र-62 वर्ष, निवासी- गांव-बपास, पुलिस थाना पटौदी, जिला- गुरुग्राम हरियाणा -123502 **हाल** :- मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम, हाउसिंग बोर्ड, कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड राज. - 303108 email- raodhanbeesingh@gmail.com
मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर:–7015494018(हरि.) 9928779775 (राज)

......परिवादी /प्रार्थी

बनाम

(1) तहसीलदार (अभिलेख संरक्षक) तहसील पांवटा, जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)

.....अपरिवादी/प्रत्यर्थी

परिवाद अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

श्रीमानजी,

सेवा में परिवादी की जानिब से यह परिवाद पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश है :-

1. यह कि परिवादी /प्रार्थी द्वारा अपरिवादी/प्रत्यर्थी को संबोधित एक आवेदन दिनांक 09 नवम्बर 2024 **(अनुलग्नक-1)** तहत धारा-75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जरिए Email: raodhanbeesingh @gmail.com से अपरिवादी/प्रत्यर्थी की E-mail : tdr.paota.jpr@gmail.com को जरिए ई-चालान आवेदन { आंसिक तत्काल शुल्क भुगतान 100/-रुपैया का (आवेदन शुल्क रु 10/- रुपए तथा ₹90/- रुपए प्रतिलिपि+ पोस्टल शुल्क के कुल राशि ₹100/- जरिए ई – ग्रास चालान GRN: 0096663581 Payment Date: 09/11/2024 10:01:44)} संलग्न कर प्रस्तुत किया था | **(अनुलग्नक-2)**
2. यह कि मेरे उक्त प्रार्थना पत्र / आवेदन के साथ आवश्यक शुल्क के भुगतान के साथ ही अपरिवादी/प्रत्यर्थी एवं परिवादी /प्रार्थी के मध्य सेवा प्रदाता एवं ग्राहक के संबंध कायम हो चुके हैं।
3. दिनांक 09 नवम्बर 2024 पर जरिए ईमेल प्रेषित निवेदन कर दस्तावेज प्रदत करने का निवेदन प्रेषित किया गया। जो अनुलग्नक-1 है। उक्त निवेदन पत्र का जवाब निहित समय अवधि 24 घन्टे चाहा गया था ।
4. यह कि अंदर मियाद उक्त नियमानुसार सेवा प्रदान नहीं करने से प्रत्यर्थी/अपरिवादी संख्या-1 व अन्य द्वारा परिवादी / प्रार्थी के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रदत्त अधिकारों का हनन किया गया है।
5. **5.** यह कि उक्त आवेदन की प्राप्ति एवं शुल्क के भुगतान के बाद आवेदक उक्त आवेदन में इंगित दस्तावेजात / प्रतिलिपियाँ 24 घंटे में पाने का अधिकारी था।

6. यह कि प्रार्थी/परिवादी नें विधि के अंतर्गत निश्चित समय 24 घंटे में जवाब प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 14 नवम्बर 2024 पर विधिक नोटिस (प्रथम) अपरिवादीगणों/प्रत्यर्थी गणों को जरिए ईमेल संजय कुमार अभिलेख संरक्षक एवं तहसीलदार तहसील पांवटा, जिला कोटपूतली बहरोड.(राज.) ईमेल:- tdr.paota.jpr@gmail.com मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर –9414562777 **(अनुलग्नक 3)** प्रेषित किया गया। जिस पर भी निश्चित समय सीमा पर प्रार्थीगणों द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया।
7. यह कि प्रार्थी/परिवादी नें विधि के अंतर्गत प्रथम विधिक नोटिस के 24 घंटे उपरांत जवाब प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 22 नवम्बर 2024 पर द्वितीय विधिक नोटिस अपरिवादी/प्रत्यर्थी को जरिए ईमेल संजय कुमार अभिलेख संरक्षक एवं तहसीलदार तहसील पांवटा, जिला कोटपूतली बहरोड.(राज.) ईमेल:- tdr.paota.jpr@gmail.com मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर –9414562777 **(अनुलग्नक 4)** प्रेषित किया गया। जिस पर भी निश्चित समय सीमा 24 घंटे में अप्रार्थी गणों द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया।
8. यह कि प्रार्थी परिवादी मुकामी कार्यालय के बार बार चक्कर लगाता रहा था। फोन पर भी उपरोक्त चाहे गए रिकॉर्ड, लोक दस्तावेजों के संदर्भ में प्राप्त करने हेतु निवेदन करता रहा। मगर अपरिवादी/प्रत्यर्थी के द्वारा कोई भी नियम अनुसार समय के अन्दर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
9. यह कि तद उपरांत दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को प्रेषक तहसील पांवटा, जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.) की ओर से क्रमांक **367** दिनांक 26/11/2024 को **(अनुलग्नक 5)** 22 प्रष्ठ के 44 रुपये शुल्क की अपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
10. यह कि प्रत्यर्थी/अपरिवादी को प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थी / परिवादी नें वास्ते जवाब इन्तजार किया और इस बाबत व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर भी संपर्क कर उक्त दस्तावेजात को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन प्रत्यर्थी /अपरिवादी नें जानबूझकर प्रार्थी/परिवादी को आर्थिक और मानसिक हानि पहुचाने के लिए जानबूझकर प्रार्थी/परिवादी के उक्त आवेदन का कोई जवाब विधि अनुसार समय के अन्दर जानभूझ कर नहीं दिया। जिससे प्रार्थी /परिवादी को अतिरिक्त श्रम एवं धन की हानि हुई ।
11. यह कि प्रत्यर्थी /अपरिवादी द्वाराअपनी लोक सेवक की पदीय हैसियत के गुरूर और बेजा इस्तेमाल कर हर मुमकिन तौर पर प्रार्थी/परिवादी को आर्थिक और मानसिक हानि पहुंचाने को आमादा होने और अपनी हठधर्मिता के चलते प्रत्यर्थी /अपरिवादी द्वारा उक्त आवेदन / दरख्वास्त एवं दो विधिक नोटिस उपरांत दिया गया है|
12. यह कि उक्त आवेदन में वांछित लोक दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियों के शुल्क का प्रत्यर्थी /अपरिवादी को प्रार्थी/परिवादी द्वारा आंशिक भुगतान करने से प्रार्थी/परिवादी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,2019 की धारा-2(7)(ii) के तहत उपभोक्ता की परिभाषा के तहत आता है और उक्त मानिंद शुल्क का आंशिक भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्यर्थी/ अपरिवादी द्वारा जिन दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करवाना उपभोक्ता सेवा के तहत आता है |
13. यह कि अप्रत्यर्थी /अपरिवादी द्वारा शुल्क का आंशिक भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त भी जानबूझकर प्रार्थी/परिवादी को लोक दस्तावेजात की सत्यापित प्रतिलिपियाँ मुहैया नहीं करवाने से प्रार्थी / परिवादी को अतिरिक्त श्रम एवं धन की हानि हुई एवं गहन मानसिक संताप हुआ व आर्थिक नुकसान कारित हुआ है, जिससे प्रार्थी / परिवादी को अतिरिक्त श्रम, मानसिक संताप, शारीरिक एवं आर्थिक हानि पेटे 1,00,000/-(अक्षरे एक लाख) रुपये एवं परिवाद खर्च पेटे 11000/-(ग्यारह हजार) रुपये एवं उस पर ताअदायगी 24%(चौबीस) वार्षिक की दर से ब्याज प्रत्यर्थी/अपरिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है |
14. यह कि प्रार्थी/परिवादी उनवान में दिए गए पते से ही प्रत्यर्थी /अपरिवादी को मूल आवेदन का प्रेषण एवं आंशिक शुल्क का भुगतान भी उक्त उनवानी पते में ही किया है लिहाजा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-34(2)(c)& (d) के विधान के अनुसार माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर (तृतीय) राजस्थान को इस परिवाद को सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार हासिल है|

15. यह कि परिवादी के उपभोक्ता होने एवं अपरिवादी के सेवा प्रदाता होने को निम्न संलग्न न्यायिक नजीरों में स्पष्ट तौर पर परिभाषित करते हुए वाद निर्णित किये गए हैं जिनकी रहनुमाई में परिवाद हाजा सर्वथा सुने जाने योग्य है :-

A. माननीय सर्वोच्च न्यायालय: Namit Sharma vs Union of India on 13/09/2012

AIR SCW 5523

24. Despite the absence of any express mention of the word 'information' in our Constitution under Article 19(1)(a), this right has stood incorporated therein by the interpretative process by this Court laying the unequivocal statement of law by this Court that there was a definite right to information of the citizens of this country. Before the Supreme Court spelt out with clarity the right to information as a right inbuilt in the constitutional framework, there existed no provision giving this right in absolute terms or otherwise. Of cou₹e, one finds glimpses of the right to information of the citizens and obligations of the State to disclose such information in various other laws, for example, Sections 74 to 78 of the Indian Evidence Act, 1872 give right to a pe₹on to know about the contents of the public documents and the public officer is required to provide copies of such public documents to any pe₹on, who has the right to inspect them. ….

B. माननीय NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION-

PRABHAKAR VYANKOBA AADONE Vs. SUPERINTENDENT, CIVIL COURT: (2008) 1 CPJ 427: Decided On Date-08-07-2002

16. We are, therefore, of the considered opinion that an applicant for certified copy of a judicial order, who deposits a fee for obtaining such copy is a "Consumer" within the meaning of the act and the proceeding of such application and the preparation and delivery of the copy in consideration of the copying charges/fee by the concerned staff attached to the court would be a service within the meaning of the Act.

C. माननीय BOMBAY HIGH COURTDIVISION BENCHSUHAS BHAND Vs.STATE OF MAHARASHTRA AND ANOTHER :(2009) 111 BOMLR 3774 :Decided on : 18-08-2009

D. माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर **" बउनवानी संजीव यादव बनाम सहायक निदेशक एवं अनुभाग अधिकारी, प्रारंभिक जांच विभाग, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर - राजस्थान " उपभोक्ता परिवाद संख्या 123/2022निर्णय दिनांक 18 जनवरी, 2022** जिसमें माननीय आयोग द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां-कहां लागू है, आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी शुल्क 05/- व् तत्काल श्रेणी शुल्क 10/- तथा चाहा गया रिकॉर्ड दो माह बीस दिवस देरी से देने पर प्रतिवादी को ₹10000/-क्षतिपूर्ति और ₹5000/- परिवाद व्यय कुल ₹15000/-के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। जिसको बर वक्त पेश कर दी जाएगें।

E. राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैन्च, बीकानेर, अपील संख्या - 37 /2023 बउन्वान सहायक निदेशक एव अनुभाग अधिकारी, प्रारंभिक जांच विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर बनाम संजीव यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव, स्टेट बैंक के पीछे, वार्ड नंबर -02 उदयरामसर, बीकानेर निर्णय दिनांक 22/03/2024 पर गौर फरमाने की मेहरबानी करें।

H. **राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैन्च, जोधपुर,** अपील संख्या 188 /2023 बउन्वान राकेश दवे पुत्र किशनलाल दवे निवासी विद्याधर नगर, बागड़ कॉलेज के पीछे, पाली, राजस्थान बनाम १.जिला

उपभोक्ता विभाग प्रतितोष फोरम पाली, व २. पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पदेन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव पोस्ट जवाली वाया खोड, जिला पाली निर्णय दिनांक 23.10.2024 द्वारा अध्यक्ष, माननीय न्यायाधिपति श्री देवेंद्र कच्छावाहा, पर गौर फरमाने की मेहरबानी करें।

16. यह कि अन्य तर्क व् नजीरे वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे | परिवाद अंदर मियाद है एव परिवाद तस्दीकशुदा शपथ-पत्र सादर पेश है |

चाहे गए अनुतोष :

1. प्रत्यर्थी / अपरिवादी को तलब कर आदेशित फरमाया जावे कि वह प्रार्थी / परिवादी को आवेदन के बिंदु क्रमांक 2,5 व 6 में चाही गयी लोक दस्तावेजात की सत्यापित प्रतिलिपियाँ अविलम्ब रजिस्टर्ड डाक से स:शुल्क उपलब्ध करवाये|
2. आवेदक द्वारा रुपये100/- जमा किया जाना प्रत्यार्थियों द्वारा स्वीकार किया गया है | 22 प्रष्ठों के ₹44/- नियमानुसार बनते है, किन्तु शेष ₹66/- विभाग द्वारा कुमानसिकता वश वापस नहीं किये गए है, अतः शेष राशी आवेदक को प्रदान किया जाना न्यायुचित होगा |
3. चाही गई जानकारी को अपूर्ण तरीके से विलम्ब से प्रदान किये जाने के कारण प्रार्थी /परिवादी को हुयी अतिरिक्त श्रम एवं धन की हानि एवं मानसिक संताप पेटे 1,00,000/-(अक्षरे एक लाख) रुपये एवं परिवाद खर्च पेटे 11000/-(ग्यारह हजार) रुपये एवं उस पर ताअदायगी 24% वार्षिक की दर से ब्याज प्रत्यर्थी / अपरिवादी संख्या-1 से दिलवाए जाने हेतु आदेशित फरमाया जावे |
3. माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर (तृतीय) की नजर में अन्य न्यायोचित सहायतायें जो प्रार्थी / परिवादी के पक्ष में हों, दिलवाई जावें

स्थान: जयपुर

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2024 परिवादी

(राव धनबीर सिंह नंबरदार)

राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र श्री राव देशराज सिंह ,बकौम-यादव, उम्र-61 वर्ष,
गांव- बपास, पुलिस थाना पटौदी, जिला- गुरुग्राम हरियाणा -123 502.
हालनिवासी ::- मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम, हाउसिंग बोर्ड, कोटपूतली, जिला कोटपूतली
बहरोड राजस्थान - 303 108 email - raodhanbeesingh@gmail.com
मोबाइल / व्हाट्सएपनंबर – 7015494018 (हरि.) 9928779775 (राज)

प्रमाणीकरण:

मैं राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र श्री राव देशराज सिंह ,बकौम-यादव, उम्र-61 वर्ष, गांव- बपास, पुलिस थाना पटौदी, जिला- गुरुग्राम हरियाणा -123502 **हाल** निवासी - मकान नंबर 02/आई/40, आर.के. पुरम, हाउसिंग बोर्ड, कोट पूतली, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान-303108(राज) प्रमाणित करता हूँ कि इस परिवाद की मद संख्या-1 लगायत 16 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य अंकित की गयी हैं |

(राव धनबीर सिंह नंबरदार)

माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर (तृतीय) जयपुर राजस्थान

परिवाद संख्या-   /2024

राव धनबीर सिंह **......परिवादी /प्रार्थी**

बनाम

तहसीलदार (अभिलेख संरक्षक) तहसील पांवटा,
जिला कोटपूतली बहरोड.(राज.)

.....अपरिवादी/प्रत्यर्थी

<u>परिवाद अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019</u>

शपथ-पत्र

मैं, राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र श्री देशराज सिंह , उम्र 61वर्ष ,निवासी- गांव- बपास, पुलिस थाना पटौदी, जिला-गुरुग्राम हरियाणा -122502 हाल- मकान नंबर 02/आई/40, आर के पुरम, हाउसिंग बोर्ड, कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान:- 303108 निवासी हूँ, जो बाहलफ निम्न बयान करता हूँ :

1. यह कि प्रस्तुत परिवाद /निवेदन पत्र में, मैं प्रार्थी/परिवादी के रूप में पक्षकार हूँ |
2. यह कि प्रस्तुत परिवाद /निवेदन पत्र के समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं |
3. यह कि यह शपथ-पत्र परिवाद के समर्थन में पेश है |

हस्ताक्षर शपथ-गृहिता

सत्यापन

मैं, राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र श्री देशराज सिंह , उम्र 62वर्ष, निवासी- गांव- बपास, पुलिस थाना पटौदी, जिला-गुरुग्राम हरियाणा -122502 हाल- मकान नंबर 02/आई/40, आर के पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, पुलिस थाना-कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड राज. सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की मद संख्या-1 लगायत 16 मेरे निजी इल्म से सही एवं सत्य अंकित किये गए हैं | ईश्वर मेरी मदद करे !

मुकाम- जयपुर

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2024

हस्ताक्षर शपथ-गृहिता

माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर (तृतीय) जयपुर राजस्थान

परिवाद संख्या- /2024

राव धनबीर सिंह ......परिवादी /प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार (अभिलेख संरक्षक) तहसील पांवटा,
जिला कोटपूतली बहरोड.(राज.) .....अपरिवादी/प्रत्यर्थी

<u>दस्तावेजत के समर्थन में शपथ-पत्र</u>

मैं, राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र श्री देशराज सिंह , उम्र 61वर्ष ,निवासी- गांव- बपास, पुलिस थाना पटौदी, जिला-गुरुग्राम हरियाणा -122502 हाल- मकान नंबर 02/आई/40, आर के पुरम, हाउसिंग बोर्ड, कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान:- 303108 निवासी हूँ, जो बाहलफ निम्न बयान करता हूँ :

1. यह कि मैं उपरोक्त परिवाद में परिवादी हूँ और परिवाद में तथ्यों से भली भांति परिचित हूँ |
2. यह कि मैंने परिवाद के साथ व समर्थन में जो दस्तावेजात अनुलग्नक 06 से 10 प्रस्तुत किए हैं वे सही व सत्य हैं |

हस्ताक्षर शपथ-गृहिता

सत्यापन

मैं, राव धनबीर सिंह नंबरदार पुत्र श्री देशराज सिंह , उम्र 62वर्ष, निवासी- गांव- बपास, पुलिस थाना पटौदी, जिला-गुरुग्राम हरियाणा -122502 हाल- मकान नंबर 02/आई/40, आर के पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, पुलिस थाना-कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड राज. सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की मद संख्या-1 लगायत 16 मेरे निजी इल्म से सही एवं सत्य अंकित किये गए हैं | ईश्वर मेरी मदद करे !

मुकाम- जयपुर

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2024

हस्ताक्षर शपथ-गृहिता

No Reason to say No!

तत्काल शुल्क के साथ

पत्रांक- राव / भा साक्ष्य अधि. 2023 / **313**/2024 दिनांक :- 09 नवम्बर, 2024

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
कार्यालय तहसील पांवटा,
जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.) - 303 107

विषय :: - आवेदन तहत धारा 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वास्ते लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने के विषय में।

महोदय,

श्रीमान के कार्यालय में लोक सेवकों के लोक सेवक के पदीय हैसियत से किए गए कार्यों के दौरान उत्पन्न होकर संधारित हुए लोक दस्तावेजात (परिभाषित तहत धारा 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) जो श्रीमान के अभिरक्षा (CUSTODI) के अभिलेखों में से लोक दस्तावेज जात की सत्यापित प्रमाणित प्रति लिपियां मुझ आवेदक को दो-दो प्रमाणित प्रतिलिपि में उपलब्ध कराएं जो निम्न है ::-

1.

(१) वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर **RJ 14 UJ 1830** का दिनांक 10 अक्टूबर 2024 से 09 नवम्बर, 2024 तक की **लॉग बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि** ।

(२) कार्यालय तहसील पांवटा का **मूवमेंट रजिस्टर** (तहसीलदार पांवटा की मूवमेंट) दिनांक 10 अक्टूबर 2024 से 09 नवम्बर, 2024 तक सहित।

(३) कार्यालय पत्रांक / रीडर /2024/ **280 -दिनांक 16 अक्टूबर 2024** की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(४) कार्यालय पत्रांक – रीडर/ 2024/ **307 - दिनांक 21 अक्टूबर 2024** की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(५) खसरा नंबर 620 किशन गैर मुमकिन रास्ता पर पर अतिक्रमण हटाने वाला **दिनांक 26 सितंबर 2024 को निर्णय** पारित किया गया था उक्त निर्णय की साफ-साफ प्रमाणित प्रति।

(६) फर्द मौका दिनांक 25 अक्टूबर 2024 पर किस-किस के हस्ताक्षर हैं का नाम पदनाम सहित पूर्ण विवरण।

(७) पत्र क्रमांक – आरटीआई/ 2024/ **72** दिनांक 07 नवंबर 2024 पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

(८) पत्र क्रमांक – आरटीआई/ 2024/ **73** दिनांक 08 नवंबर 2024 पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

2. यह कि वांछित लोक दस्तावेज की प्रतिलिपि शुल्क का आंसिक तत्काल शुल्क का भुगतान 100/= रुपैया का **(आवेदन शुल्क रु 10/= रुपए तथा ₹90/= रुपए प्रतिलिपि + पोस्टल शुल्क के कुल राशि ₹100/= जरिए ई - ग्रास चालान GRN: 0096663581 Payment Date: 09/11/2024 10:01:44)** आवेदन के साथ प्रेषित है। एवम् इसके अतिरिक्त जितना भी दस्तावेजात/ सीडी का शुल्क होगा आपके द्वारा मुझे उचित मध्यम (जरिए ईमेल / व्हाट्सएप) से सूचित करने पर मेरे द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रार्थी / आवेदक

राव धनवीर सिंह नंबरदार पुत्र राव देशराज सिंह
गांव- बपास, पुलिस थाना पटौदी,
जिला- गुरुग्राम हरियाणा -123 502
हाल ::- मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम,
हाउसिंग बोर्ड, कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)- 303 108
email - raodhanbeersingh@gmail.com
मोबाइल / WhatsApp नंबर – 7015494018 (हरि.) 9928779775 (राज.)

नोट ::-

(१)

१. यह आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम में से किसी भी प्रकार सरोकार नहीं रखता है। लिहाजा उक्त अधिनियम का कोई प्रावधान संरक्षण इस आवेदन के बाबत लागू नहीं होता है। और उक्त सूचना धारा 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत लोक दस्तावेज की परिभाषा में आती है लिहाजा एक लोक सेवक होने के नाते आवेदक/ प्रार्थी को युक्तियुक्त समय अनुसार उपलब्ध करवाया जाना आपके लिए बाध्यकारी है।

२. यह कि वांछित लोक दस्तावेज की प्रतिलिपि शुल्क का आंसिक तत्काल शुल्क का भुगतान 100/= रुपैया का (आवेदन शुल्क रु 10/= रुपए तथा ₹90/= रुपए प्रतिलिपि + पोस्टल शुल्क के कुल राशि ₹100/= जरिए ई - ग्रास चालान GRN: 0096663581 Payment Date: 09/11/2024 10:01:44) आवेदन के साथ प्रेषित है। एवम् इसके अतिरिक्त जितना भी दस्तावेजात का प्रतिलिपि शुल्क होगा आपके द्वारा मुझे उचित मध्यम (जरिए ईमेल / व्हाट्सएप) से सूचित करने पर मेरे द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा। अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होने की स्थिति में आवेदक को जरिए ईमेल / व्हाट्सएप से सूचित किया जाए जो आवेदक के पत्ते में अंकित किए गए है।

३. स्मरण रहे की धारा 2(11) बीएनएस-2023 की रोशनी में समयेक सावधानी एवं सतर्कता के साथ इस आवेदन का देश के मौजूदा विधान के मुताबिक निर्णय किया जाना आपके लिए आवश्यक है।

(२)

(१) उक्त मांगी गयी सूचनाओं के संधर्भ में निम्न प्रारूप को धारा 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कि पालना में जैसा है उसी रूप में भरकर देवें ।

मैं सम्बन्धित / प्रभरी / अधिकारी / नाम-- पदनाम -------------------------------------शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आपके द्वारा मांगी गयी दस्तावेजात / सूचनाओ में से आवेदन संख्या -------------------- कि सूचना, धारा 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत लोक दस्तावेज के तहत देय नहीं है। एवं मैं उक्त सूचनाओं को भारतीय संसद / विधानमंडल द्वारा मांगे जाने पर भी इंकार कर दूंगा /दूंगी।

सम्बन्धित / प्रभरी / अधिकारी

हस्ताक्षर व् मोहर सहित :---------------------------------

नाम :---------------------------------

पदनाम :------------------------------

दिनांक :– -----------------------------

e-Challan

Revenue Board
Government of Rajasthan

GRN: 0096663581 Payment Date: 09/11/2024 10:01:44

Office Name: Jaipur Tehsildar Pawata
Location: KOTPUTALI-BEHROR
Period: 09/11/2024-To-30/11/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0070-60-800-20-00-अन्य विविध प्राप्तियां	100.00

Commision(-): 0.00
Total/NetAmount: 100.00

One Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:	
Full Name: RAO DHANBEER SINGH	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(303108)
Address:RK PURM RHB KOTPUTLI	Remarks:313 - Application fees of Evidence Act 2023

Payment Details:		Challan No. -	0
Bank:	PNB GateWay(Credit/Debit Cards)	Bank CIN No:	PNBG966635810911 2024
Date:	09/11/2024 10:01:44	Refrence No:	21514539136

Computer generated copy on : 09/11/2024 *Courtsy : https://Egras.rajasthan.gov.in*

राव धनवीर सिंह

राष्ट्रीय अध्यक्ष
(आर.टी.आई. सैल)
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय ::- मकान नंबर - 02 / आई / 40, आरके पुरम,
हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड.- 303108
email - raodhanbeersingh@gmail.com
मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर – 7015494018,
9928779775

पत्रांक :- राव / विधिक नोटिस / जरिए इमेल/ 318 / 2024 **दिनांक:- 14 नवम्बर, 2024**

विधिक नोटिस (जरीये इमेल & व्हाट्सएप)

राव धनवीर सिंह
बनाम

1. **संजय कुमार अभिलेख संरक्षक एवं तहसीलदार तहसील पांवटा, जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)**
   ईमेल: - tdr.paota.jpr@gmail.com
   मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर –9414562777
2. **प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य**

मोहदय,

मैं यह विधिक नोटिस आपको निम्नलिखित आधारों पर प्रेषित करता हूँ :-

1) **यह कि मेरे (राव धनवीर सिंह) द्वारा आपको संबोधित एक आवेदन तहत धारा-75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जरिए इमेल raodhanbeersingh@gmail.com से अभिलेख संरक्षक (नकल प्रभारी) एवं तहसीलदार पांवटा,जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)ईमेल: - tdr.paota.jpr@gmail.com पर दिनांक – 09 नवम्बर, 2024 समय 10:17 ए.एम. पर प्रेषित किया गया था। संजय कुमार अभिलेख संरक्षक के मोबाइल नंबर 9414562777 पर व्हाट्सएप भी किया गया था ।**
2) **यह कि वांछित लोक दस्तावेज की प्रतिलिपि शुल्क का आंसिक तत्काल शुल्क का भुगतान 100/= रुपैया का (आवेदन शुल्क रु 10/= रुपए तथा ₹90/= रुपए प्रतिलिपि + पोस्टल शुल्क के कुल राशि ₹100/= जरिए ई - ग्रास चालान GRN: 0096663581 Payment Date: 09/11/2024 10:01:44) एवम् इसके अतिरिक्त जितना भी दस्तावेजात/ का शुल्क होगा आपके द्वारा मुझे उचित मध्यम (जरिए ईमेल / व्हाट्सएप)से सूचित करने पर मेरे द्वारा अतिरिक्त शुल्क कर दिया जायेगा |**
3) **यह कि उक्त आवेदन की प्राप्ति एवं तत्काल शुल्क के भुगतान के बाद आवेदक उक्त आवेदन में इंगित दस्तावेजात / प्रतिलिपियाँ 24 घंटे में पाने का अधिकारी होता है | लेकिन आपके द्वारा उक्त विधान की अनुपालना नहीं की गई ओर ना ही आदिनांक तक कोई जवाब नहीं दिया गया।**
4) **यह कि आपके उक्त विधिविरुद्ध कृत्य के चलते मुझे अतिरिक्त धन एवं श्रम की हानि हुई है | एवं आपके द्वारा नाहक मुझे घन वा मानसिक संताप पहुचाया गया है ।**
5) **यह कि मेरे आवेदन के साथ आवश्यक आंसिक तत्काल शुल्क के भुगतान के साथ ही आप वं मेरे मध्य सेवा प्रदाता एवं ग्राहक के सम्बन्ध कायम हो चुके हैं |**
6) **यह कि अंदर मियाद उक्त नियमानुसार सेवा प्रदान नहीं करने से आपके द्वारा मेरे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत प्रदत्त अधिकारों का हनन किया गया है |**
7) **यह कि आपके द्वारा सेवा में कमी की गयी है | जिससे मुझे अतिरिक्त श्रम एवं धन की हानि हुई है एवं बेवजह मानसिक संताप से गुजरना पड़ा है | जिसके लिए मैं उक्त मानसिक संताप, शारीरिक एवं आर्थिक हानि पेटे 1,00,000/-(एक लाख) रुपये एवं उस पर ताअदायगी 24% वार्षिक की दर से ब्याज आपसे प्राप्त करने का अधिकारी हूँ |**
8) **यह कि परिवादी के उपभोक्ता होने एवं अपरिवादी के सेवा प्रदाता होने को निम्न संलग्न न्यायिक नजीरों में स्पष्ट तौर पर परिभाषित करते हुए वाद निर्णित किये गए हैं जिनकी रहनुमाई में परिवाद हाजा सर्वथा सुने जाने योग्य है :**
   - A. ***माननीय सर्वोच्च न्यायालय :NAMIT SHARMA Vs. UNION OF INDIA (UOI): (2012) AIR(SCW) 5523 : (2013) 1 AIRBomR 10, Decided On-13.09.2012***
   - B. ***माननीय NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION-PRABHAKAR VYANKOBA AADONE Vs. SUPERINTENDENT, CIVIL COURT : (2008) 1 CPJ 427: Decided On Date-08-07-2002***

C. माननीय BOMBAY HIGH COURT DIVISION BENCH SUHAS BHAND Vs. STATE OF MAHARASHTRA AND ANOTHER : (2009) 111 BOMLR 3774 : Decided on : 18-08-2009

D. यह कि माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बाड़मेर राजस्थान द्वारा " कमल सिंह पुत्र भूरसिंह बनाम थानाधिकारी एव प्रभारी प्रतिलिपि शाखा" उपभोक्ता प्रकरण संख्या -- 55 / 2022 Decided On Date 29.07.2022 के अपने निर्णय के अंतर्गत समान प्रकरण में शिकायतकर्ता को अनुतोष प्रदान करते हुए शिकायतकर्ता उसके द्वारा मांगी गयी दस्तावेजों (दिनांक 01/01/2020 से 07/11/ 2021 तक पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर पर काटी गई समस्त F.I.R. की प्रतियां मय नतीजा पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतियां और उक्त अवधि के दौरान पुलिस थाना शिव का संधारित रोजनामचा, स्टाफ विजिटिंग बुक, मूवमेंट रजिस्टर एवं ड्यूटी रजिस्ट्री के प्रत्येक पृष्ठ के लोग दस्तावेजों के रूप में चहा गया था । जो नही देने पर माननीय आयोग द्वारा थाना अधकारी पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर पर ₹10,000/= मुआवजा तथा ₹5,000/= फाइल खर्चा देने के उक्त रिकॉर्ड/ दस्तावेज देने के भी आदेश जारी किए गए जिसकी प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है ।) की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने का आदेश पारित किया गया तथा परिवाद व्यय भी अप्रार्थी / अपरिवादी के ऊपर अधिरोपित किया गया है |

E. माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर " बउनवानी संजीव यादव बनाम सहायक निदेशक एवं अनुभाग अधिकारी, प्रारंभिक जांच विभाग, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर - राजस्थान " उपभोक्ता परिवाद संख्या 123/2022 निर्णय दिनांक 18 जनवरी, 2022 जिसमें माननीय आयोग द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां-कहां लागू है, आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी शुल्क 05/= व् तत्काल श्रेणी शुल्क 10/= तथा चाहा गया रिकॉर्ड दो महा बीस दिवस देरी से देने पर प्रतिवादी को ₹10000/= क्षतिपूर्ति और ₹5000/= परिवाद व्यय कुल ₹15000/= के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।

F. अभी हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की बेंच ने Civil Writ Petition No. 8246/2024 उनवान ओमाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान हाल ही में दिए गए निर्णय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 को मानकर कलक्टर पाली को आदेश दिए जिसकी प्रति आवेदन के साथ लगन से मार्ग को प्रेषित की जा चुकी है

अतः यह विधिक नोटिस आपको प्रेषित कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे (24 HOUR) की मियाद में :-

a. इस नोटिस का बिन्दुवार जवाब 24 घंटे (24 HOUR) में प्रेषित करें |
b. मुझे आपके कारण हुई अतिरिक्त धन एवं श्रम की हानि एवं मानसिक संताप पेटे 1,00,000/-(एक लाख) रुपये अदा कर उसकी रशीद प्रार्थी से प्राप्त कर लेवें |
c. आवेदन (पत्रांक :- राव / भा. सा. अधि. / 313 / 2024दिनांक 09 नवम्बर, 2024, जो समय 10:17 ए.एम. पर प्रेषित किया गया था।) में इंगित दस्तावेजात की स:शुल्क प्रमाणित प्रतिलिपियाँ 24 घंटे (24 HOUR) में उपलब्ध करवाएं !

उक्त अपेक्षाओं की पूर्ती नहीं करने की स्थिति में उक्त तमाम तथ्यों के बाबत आपकी मौन स्वीकृति मान कर आपके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की जावेंगी | जिसके हर्जे - खर्चे की आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे !

ध्यान दें:

1. बिंदुवार और बोलकर उत्तर दें।
2. इस पत्र में कोई संशोधन नहीं है।
3. इस नोटिस को सुरक्षित रखें, इसे आपको आवश्यक समय पर उचित कानून मंच के समक्ष पेश करने के लिए कहा जाएगा।

दिनांक:- 14 नवम्बर, 2024

(राव धनवीर सिंह नंबरदार)

नोट :- किसी भी न्यायिक कार्रवाई का क्षेत्राधिकार मेरा निवास स्थान कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान होगा। व् कार्रवाई अमल में लाने पर तमाम हर्जा - खर्चा की जिम्मेदारी व जवाबदेही आप संबंधितो की होगी।

राव धनवीर सिंह नंबरदार
राष्ट्रीय अध्यक्ष
(आर.टी.आई. सैल)
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग,
हाल::-मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम,
हाउसिंग बोर्ड, कोटपूतली,
जिला जयपुर राजस्थान - 303108
email - - dsraolambardar@gmail.com
मोबाइल / WhatsApp नंबर –
7015494018 (हरि.) 9928779775 (राज.)

पत्रांक :- राव / विधिक नोटिस / जरिए इमेल/ **328** / 2024 दिनांक:- 22 नवम्बर, 2024

<u>द्वितीय विधिक नोटिस (जरीये इमेल & व्हाट्सएप)</u>

राव धनवीर सिंह

बनाम

1. संजय कुमार अभिलेख संरक्षक एवं तहसीलदार तहसील पांवटा, जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.) ईमेल: - tdr.paota.jpr@gmail.com मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर –9414562777
2. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य

मोहदय,

<u>मैं यह द्वितीय विधिक नोटिस पूर्व में दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को दिए गए विधिक नोटिस के संदर्भ में निम्नलिखित आधारों पर प्रेषित करता हूं ::-</u>

1. यह कि यह कि मेरे (राव धनवीर सिंह) द्वारा आपको संबोधित एक आवेदन तहत धारा-75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जरिए इमेल raodhanbeersingh@gmail.com से अभिलेख संरक्षक (नकल प्रभारी) एवं तहसीलदार पांवटा,जिला कोटपूतली बहरोड. (राज.)ईमेल: - tdr.paota.jpr@gmail.com पर दिनांक – 09 नवम्बर, 2024 समय 10:17 ए.एम. पर प्रेषित किया गया था। संजय कुमार अभिलेख संरक्षक के मोबाइल नंबर 9414562777 पर व्हाट्सएप भी किया गया था ।
2. यह कि वांछित लोक दस्तावेज की प्रतिलिपि शुल्क का आंसिक तत्काल शुल्क का भुगतान 100/= रुपैया का (आवेदन शुल्क रु 10/= रुपए तथा ₹90/= रुपए प्रतिलिपि + पोस्टल शुल्क के कुल राशि ₹100/= जरिए ई - ग्रास चालान GRN: 0096663581 Payment Date: 09/11/2024 10:01:44) एवम् इसके अतिरिक्त जितना भी दस्तावेजात/ का शुल्क होगा आपके द्वारा मुझे उचित मध्यम (जरिए ईमेल / व्हाट्सएप)से सूचित करने पर मेरे द्वारा अतिरिक्त शुल्क कर दिया जायेगा |
3. यह कि उक्त आवेदन की प्राप्ति एवं शुल्क के भुगतान के बाद आवेदक उक्त आवेदन में इंगित दस्तावेजात / प्रतिलिपियाँ **<u>24 घंटे</u>** में पाने का अधिकारी होता है | लेकिन आपके द्वारा उक्त विधान की अनुपालना नहीं की गई और ना ही निश्चित समय सीमा में कोई जवाब नहीं दिया गया।
4. यह कि आपके उक्त विधिविरुद्ध कृत्य के चलते मुझे अतिरिक्त धन एवं श्रम की हानि हुई है | एवं <u>आपके द्वारा नाहक मुझे घन वा मानसिक संताप पहुचाया गया है |</u>

5. यह कि आपके उक्त विधिविरुद्ध कृत्य के चलते मुझ प्रार्थी / परिवादी को न्याय प्राप्त करने में अनावश्यक देरी हो रही है। जिसके चलते मुझे मानसिक संताप से गुजरना पड़ रहा है।
6. यह कि मेरे आवेदन के साथ आवश्यक **<u>आंसिक तत्काल शुल्क</u>** के भुगतान के साथ ही आप वं मेरे मध्य सेवा प्रदाता एवं ग्राहक के सम्बन्ध कायम हो चुके हैं | और अंदर मियाद उक्त नियमानुसार सेवा प्रदान नहीं करने से आपके द्वारा मेरे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रदत्त अधिकारों का हनन किया गया है |
7. यह कि आपके द्वारा सेवा में कमी की गयी है | जिससे मुझे अतिरिक्त श्रम एवं धन की हानि हुई है एवं बेवजह मानसिक संताप से गुजरना पड़ा है | जिसके लिए मैं उक्त मानसिक संताप, शारीरिक एवं आर्थिक हानि पेटे 1,00,000/-(एक लाख) रुपये एवं उस पर ताअदायगी 24% वार्षिक की दर से ब्याज आपसे प्राप्त करने का अधिकारी हूँ |

अतः यह विधिक नोटिस आपको प्रेषित कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की प्राप्ति के **<u>आज ही</u>** की मियाद में :-

d. इस नोटिस का बिन्दुवार जवाब **<u>आज ही</u>** में प्रेषित करें |
e. मुझे आपके कारण हुई अतिरिक्त धन एवं श्रम की हानि एवं मानसिक संताप पेटे 1,00,000/-(एक लाख) रुपये अदा कर उसकी रशीद प्रार्थी से प्राप्त कर लेवें |
f. आवेदन (पत्रांक :- राव / भा. सा. अधि. / 313 / 2024दिनांक 09 नवम्बर, 2024, जो समय 10:17 ए.एम. पर प्रेषित किया गया था।) में इंगित दस्तावेजात की श:शुल्क प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करवाएं !

<u>उक्त अपेक्षाओं की पूर्ती नहीं करने की स्थिति में उक्त तमाम तथ्यों के बाबत आपकी मौन स्वीकृति मान कर आपके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की जावेंगी | जिसके हर्जे - खर्चे की आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे !</u>

ध्यान दें:

1. बिंदुवार और बोलकर उत्तर दें।
2. इस पत्र में कोई संशोधन नहीं है।
3. इस नोटिस को सुरक्षित रखें, इसे आपको आवश्यक समय पर उचित कानून मंच के समक्ष पेश करने के लिए कहा जाएगा।

दिनांक:- 22 नवम्बर, 2024

(राव धनवीर सिंह नंबरदार)

कार्यालय तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

क्रमांक/रीडर/2024/367 दिनांक– 26/11/24

श्री राव धनवीर सिंह लम्बरदार
पुत्र देशराज सिंह गांव बपास पुलिस थाना पटौदी जिला गुरुग्राम हरियाणा –123502
मकान नं0–02/02/आई/40,आरके पुरम,
हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान

विषयः– आवेदन के तहत धारा 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वास्ते लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपी चाहने के विषय में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदन पत्र के अन्तर्गत धारा 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वास्ते लोक दस्तावेज की दो–दो प्रमाणित प्रतिलीपी निम्नानुसार भिजवायी जा रही है।

1. आप द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 1 की सूचना में वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर RJ14UJ1830 का दिनांक 10 अक्टुबर 2024 से 09 नवम्बर की लॉग बुक की पठनीय प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2 तहसील कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर संधारित नही है।
3. कार्यालय पत्रांक/रीडर/2024/280 दिंनाक 16 अक्टूबर 2024 की पठनीय प्रमाणित प्रति संलग्न है।
4. कार्यालय पत्रांक/रीडर/2024/307 दिंनाक 21 अक्टूबर 2024 की पठनीय प्रमाणित प्रति संलग्न है।
5. आप द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 4 में खसरा नंबर 620 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर अतिकमण हटाने वाला आदेश की पारित निर्णय की मूल पत्रावली तहसील कार्यालय के पत्र कमांक/रीडर/2024/300 दिनांक 21.10.2024 को न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय जिला कोटपूतली–बहरोड के यहाँ भिजवा दी गई है। अतः आप सत्यपित प्रतिलिपी श्रीमान के कार्यालय से प्राप्त करे सकते है।
6. आप द्वारा चाही गई सूचना का बिन्दू संख्या 5 प्रश्नात्मक शैली का है। आप द्वारा बिन्दु संख्या 5 की सूचना के संबंध में किसी भी दस्तावेज का विवरण अंकित नही किया है। सूचना की विषय वस्तु को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय स्तर पर उपलब्ध लोक दस्तावेज फर्द मौका की पठनीय प्रमाणित प्रति संलग्न है।
7. पत्र कमांक–आरटीआई/2024/72 दिनांक 07 नवम्बर 2024 पर श्री संजय कुमार पद तहसीलदार (कार्यवाहक) के हस्ताक्षर है।
8. पत्र कमांक आरटीआई/2024/73 दिनांक 08 नवम्बर पर श्री संजय कुमार पद तहसीलदार (कार्यवाहक) के हस्ताक्षर है।

नोटः– आपके आवेदन पत्र के साथ चालान संख्या 0096663581 दिंनाक 9.11.2024 के द्वारा आवेदन शुल्क 100 रूपये जमा है। सूचना/रिकार्ड के पृष्ठ 22 के 44 रूपये नियमानुसार बनते है। उक्त रिकोर्ड प्राप्ति के और शुल्क देय नही है।

तहसीलदार
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

Revnue section tdr.paota.jpr@gmail.com

dsrao lambardar <dsraolambardar@gmail.com>

DocScanner 26-Nov-2024 4-40 pm.pdf
1 message

---

paota tehsil <tdr.paota.jpr@gmail.com> Tue, **Nov 26, 2024 at 5:21 PM**

To: dsraolambardar@gmail.com

DocScanner 26-Nov-2024 4-40 pm.pdf
855K

FORM NO.1

प्रपत्र संख्या (1)

Vehicle's Log Book

व्हीकल लॉग बुक

मोटर गाड़ी संख्या Motor Vehicle No. RJ14 CS 1830

स्थान Station at तहसील कार्यालय पावटा

55

Date दिनांक	Time समय: Out प्रस्थान	Time समय: In वापसी	Details of Journey यात्रा का विवरण: From स्थान से	To स्थान को	Routes मार्ग	Milometer reading at Commencement of Journey प्रस्थान के समय माइलो मीटर का सूचक अंक	Milometer reading at the end of Journey यात्रा समाप्ति पर माइलो मीटर का सूचक अंक	Distance Travelled in Miles/Kilometer दूरी कि.मी./मील	Purpose of Journey यात्रा का उद्देश्य	Names of Persons & Particulars of goods यात्रियों अथवा सामान का विवरण जो ले जाया गया	Authority Marking Journey यात्रा के अधिकृत कर्ता का नाम	Signature of User हस्ताक्षर प्रयोगकर्ता	Supplies सामग्री: Petrol in Liters पेट्रोल लीटरों में	Lubricating Oil in Liters चिकनाई तेल आदि लीटरों में	Sundries i.e. grease etc. अन्य वस्तुएँ ग्रीस इत्यादि	Signature of Driver ह. ड्राईवर	Recoveries to be effected if any वसूली कोई करनी हो तो: Amount रकम	Signature of Clerk ह. क्लर्क	Signature of Controlling Officer ह. नियन्त्रण अधिकारी	Remarks
10/10/24	9:30	6:15	आफिस से पावटा-जागपुरा आस-पास फील्ड मौका देखने से आफिस			42027	42068	31 Km			पावटा तहसीलदार संजय कुमार खेर KTS		आरटीओ साहब अति. के साथ जाना			[signature]			तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
14/10/24	9:15	6:00	आफिस से शुक्ली गजाक से आफिस से डाबपुरा थाने से आफिस से पंचायत समिति से आफिस			42068	42115	47 Km			TQR					[signature]			तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
15/10/24	9:30	6:00	आफिस से टोडा गुजरान स्कूल भवन का मौका देखने से आफिस से पिलोपाखेड़ा पुल निर्माण का मौका देखने से आफिस			42115	42176	61 Km			TQR					[signature]			तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
16/10/24	9:30	6:45	आफिस से पावटा चिल्ड्रन के पास नदी की भूमि पे अवैध निर्माण का मौका देखने से पी.डब्ल्यू.डी. के पीछे मौका देखने से आफिस से पाथरेड़ी से आफिस			42176	42214	38 Km			TQR					[signature]			तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	

फोटो प्रति प्रमाणित

तहसीलदार पावटा

Rainbow

FORM NO. 1 प्रपत्र संख्या (1)

Vehicle's Log Book — व्हीकल लॉग बुक

मोटर गाड़ी संख्या Motor Vehicle No. RJ14UC1830 स्थान Station at तहसील कार्यालय [illegible]

56

Date दिनांक	Time समय: Out प्रस्थान	Time समय: In वापसी	Details of Journey यात्रा का विवरण: From स्थान से / To स्थान को / Routes मार्ग	Milometer reading at Commencement of Journey प्रस्थान के समय माइलो मीटर का सूचक अंक	Milometer reading at the end of Journey यात्रा समाप्ति पर माइलो मीटर का सूचक अंक	Distance Travelled in Miles/Kilometer दूरी कि.मी./मील	Purpose of Journey यात्रा का उद्देश्य	Names of Persons & Particulars of goods यात्रियों अथवा सामान का विवरण जो ले जाया गया	Authority Marking journey यात्रा के अधिकृत कर्ता का नाम	Signature of User इस्तेमाल कर्ता के हस्ताक्षर	Supplies सामग्री: Petrol in Liters पेट्रोल लीटरों में	Supplies सामग्री: Lubricating Oil in Liters चिकनाई तेल आदि लीटरों में	Supplies सामग्री: Sundries i.e. grease etc. अन्य वस्तुएं ग्रीस इत्यादि	Signature of Driver ड्राईवर	Recoveries to be effected if any वसूली कोई करनी हो तो: Amount रकम	Recoveries: Signature of Clerk क्लर्क	Signature of Controlling Officer नियन्त्रण अधिकारी	Remarks विशेष विवरण
17/10/24	9:30	6:00	ऑफिस से लक्ष्मणगढ़ रास्ता मौका देखने से फतेहपुरा रास्ता मौका देखने से ऑफिस से रसनेता कोठी रास्ता मौका देखने से ऑफिस	42214	42290	76 km			[illegible]					[signature]			तहसीलदार (stamp)	
18/10/24	9:15	6:00	ऑफिस से [illegible] मोड़ से ऑफिस से [illegible] मौका देखने से ऑफिस से [illegible] रास्ता मौका देखने से ऑफिस	42290	42358	68 km			[illegible]					[signature]			तहसीलदार (stamp)	
19/10/24 शनिवार	9:30	6:00	ऑफिस से रहे पंजियन गाड़ी चालू रही	42358	42368	10 km			[illegible]					[signature]			तहसीलदार (stamp)	
21/10/24	9:30	5:15	ऑफिस से [illegible] [illegible] मा मौका देखने से ऑफिस से [illegible] का बास फतेहपुरा रास्ता मौका देखने से ऑफिस	42368	42442	74 km			[illegible]					[signature]			तहसीलदार (stamp)	

[Stamp across the upper rows: … प्रति प्रमाणित, तहसीलदार, with signature]

Rainbow

FORM NO.1

प्रपत्र संख्या (1)

Vehicle's Log Book

व्हीकल लॉग बुक

मोटर गाड़ी संख्या Motor Vehicle No. RJ14UJ1830

स्थान Station at तहसील कार्यालय [illegible]

57

Date दिनांक	Time समय: Out प्रस्थान	Time समय: In वापसी	Details of Journey यात्रा का विवरण: From स्थान से / To स्थान को / Routes मार्ग	Milometer reading at Commencement of Journey प्रस्थान के समय माइलो मीटर का सूचक अंक	Milometer reading at the end of Journey यात्रा समाप्ति पर माइलो मीटर का सूचक अंक	Distance Travelled in Miles/Kilometer दूरी कि.मी./मील	Purpose of Journey यात्रा का उद्देश्य	Names of Persons & Particulars of goods यात्रियों अथवा सामान का विवरण जो ले जाया गया	Authority Marking Journey यात्रा के अधिकृत कर्ता का नाम	Signature of User हस्ताक्षर प्रयोगकर्ता	Supplies सप्लाई: Petrol in Liters पेट्रोल लीटरों में	Supplies सप्लाई: Lubricating Oil in Liters चिकनाई तेल आदि लीटरों में	Supplies सप्लाई: Sundries i.e. grease etc. अन्य वस्तुएं ग्रीस इत्यादि	Signature of Driver ह. ड्राईवर	Recoveries to be effected if any: Amount रकम	Recoveries to be effected if any: Signature of Clerk ह. क्लर्क	Signature of Controlling Officer ह. नियन्त्रण अधिकारी	Remarks विशेष विवरण
22/10/24	9:15	6:30	कार्यालय से टपूकड़ा। पहाड़ी मैन्स का ओपन निरीक्षण करके से कार्यालय से नोसपुरा मौका देखने कार्यालय से तलवाड़ा मौका देखने से कार्यालय	42442	42505	63 Km			TDR	भारतीय साख्य अधि. [illegible]				अभिमन्यु		[illegible]	[illegible]	
23/10/24	9:45	6:10	कार्यालय से [illegible] मोड से कार्यालय से [illegible] [illegible] का मौका देखने से [illegible] राजस्व संस्थान का मौका देखने से कार्यालय	42505	42552	47 Km			TDR					अभिमन्यु			तहसीलदार (कोटपूतली-बहरोड़)	
24/10/24	9:30	6:15	कार्यालय से राजपुरा [illegible] रास्ता मौका देखने से कार्यालय से [illegible] [illegible] [illegible] से कार्यालय	42552	42620	68 Km			TDR					अभिमन्यु			तहसीलदार (कोटपूतली-बहरोड़)	

Rainbow

FORM NO.1

प्रपत्र संख्या (1)

Vehicle's Log Book

व्हीकल लॉग बुक

मोटर गाड़ी संख्या Motor Vehicle No. RJ14 US 1832 — स्थान Station at तहसील कार्यालय पावटा

58

Date दिनांक	Time समय: Out प्रस्थान	Time समय: In आगमन	Details of Journey यात्रा का विवरण: From स्थान से / To स्थान को / Routes मार्ग	Milometer reading at Commencement of Journey प्रस्थान के समय गाड़ी मीटर का सूचक अंक	Milometer reading at the end of Journey यात्रा समाप्ति पर गाड़ी मीटर का सूचक अंक	Distance Travelled in Miles/Kilometer दूरी कि.मी./मील	Purpose of Journey यात्रा का उद्देश्य	Names of Persons & Particulars of goods यात्रियों अथवा सामान का विवरण जो ले जाया गया	Authority Marking Journey यात्रा के अधिकृत कर्ता का नाम	Signature of User हस्ताक्षर प्रयोगकर्ता	Supplies सप्लाई: Petrol in Liters पेट्रोल लीटरों में	Supplies सप्लाई: Lubricating Oil in Liters चिकनाई तेल आदि लीटरों में	Supplies सप्लाई: Sundries i.e. grease etc. अन्य वस्तुएँ ग्रीस इत्यादि	Signature of Driver ह. ड्राईवर	Recoveries to be effected if any वसूली कोई करनी हो तो: Amount रकम	Recoveries: Signature of Clerk ह. क्लर्क	Signature of Controlling Officer ह. नियन्त्रण अधिकारी	Remarks विशेष विवरण
25/10/24	9:15	3:20	आफिस से प्रागपुरा थाने 9:30 पर पहुंचे वहां से मौकरी 9:45 पर पहुंचे वहां से 11:28 पर पावटा आफिस पहुंचे वहां से प्रागपुरा से आफिस	42620	42651	31 Km			TDR								तहसीलदार (पावटा-कोटपूतली)	
26/10/24	9:30	6:30	आफिस से बुचारा रजिस्ट्रेशन के मौके देखने से मूंडी रामा रजिस्ट्रेशन के मौके देखने से आफिस से कोटपूतली गोनेड़ा R.S. मोटर्स में तहसील के सरकारी वाहन की नियमानुसार सर्विस कराने से आफिस पावटा 7 बजे	42651	42745	94 Km			TDR					[signature]			तहसीलदार (पावटा-कोटपूतली)	
28/10/24	9:30	12:20	आफिस से तोरडा ग्राम शालिवर्ड स्कूल ग्राउंड का मौका देखने से आफिस से फतेहपुरा खुर्द मौका	42745	42848	103 Km			TDR					[signature]			तहसीलदार (पावटा-कोटपूतली)	

आरटीएम सिस्टम आदि में दर्ज जाती

फोटो प्रति प्रमाणित

[signature]

तहसीलदार (पावटा)

Rainbow

Vehicle's Log Book

FORM NO. 1

प्रपत्र संख्या (1)

व्हीकल लॉग बुक

मोटर गाड़ी संख्या Motor Vehicle No. RJ45CT8800

स्थान Station at तहसील कार्यालय पावटा

59

Date दिनांक	Time समय Out	Time समय In	From स्थान से / To स्थान को / Routes मार्ग (Details of Journey यात्रा का विवरण)	Milometer reading at Commencement of Journey	Milometer reading at the end of Journey	Distance Travelled in Miles/Kilometer	Purpose of Journey यात्रा का उद्देश्य	Names of Persons & Particulars of goods	Authority Marking Journey	Signature of User	Petrol in Liters	Lubricating Oil in Liters	Sundries i.e. grease etc.	Signature of Driver	Recoveries Amount	Signature of Clerk	Signature of Controlling Officer	Remarks
			देखने से आफिस ले गाड़ी															
			बडगांव मौका देखने ले															
			आफिस से दफ्तर शाम								आदेश संख्या [illegible] के तहत जारी							
			[illegible] मौका								फोटो प्रति प्रमाणित							
			पर [illegible] का मौका															
			देखने से आफिस लौटा															
29/10/24	9:45	6:00	आफिस से पंचायत समिति	42848	42884	36 Km												
			[illegible] से आफिस															
			से [illegible] मौका												[signature]			
			देखने से आफिस 4:10														तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
			बजे															
30/10/24	9:45	6:30	आफिस से [illegible]पुरा	42884	42943	59 Km												
			मौका देखने से आफिस												[signature]			
			से कोटपूतली [illegible]														तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
			के [illegible] आफिस 7:00															
			बजे															
4/11/24	9:30	6:15	आफिस से [illegible]	42943	42972	29 Km												
			[illegible] मौका देखने ले												[signature]			
			आफिस 5:00 बजे														तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	

FORM NO.1

प्रपत्र संख्या (1)

Vehicle's Log Book

व्हीकल लॉग बुक

मोटर गाड़ी संख्या Motor Vehicle No. RJ14CT1830

स्थान Station at तहसील कार्यालय पावटा

60

Date दिनांक	Time समय Out	In	Details of Journey यात्रा का विवरण From स्थान से	To स्थान को	Routes मार्ग	Milometer reading at Commencement of Journey	Milometer reading at the end of Journey	Distance Travelled in Miles/Kilometer	Purpose of Journey यात्रा का उद्देश्य	Names of Persons & Particulars of Goods	Authority Marking journey	Signature of User	Supplies सामग्री Petrol in Liters	Lubricating Oil in Liters	Sundries i.e. grease etc.	Signature of Driver	Recoveries to be effected if any Amount	Signature of Clerk	Signature of Controlling Officer	Remark
05/11/24	9:25 AM		ऑफिस से 2:00 PM लालबाग रास्ता मौका देखने से ऑफिस 3:20 PM			42972	42985	13 km								[signature]			तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
06/11/24	9:25 AM		आफिस 11:00 से पंचायत समिति मीटिंग से आफिस 1:20 PM आफिस से मौका देखने 3:20 PM से आफिस 4:25 PM आफिस से पंचायत समिति पावटा 5:30 से 7:00 तक से आफिस			42985	43059	74 km								[signature]			तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
07/11/24	9:30 AM		आफिस से 10:30 PM [illegible] से [illegible] से [illegible] की ढाणी से आफिस 2:10 PM			43059	43125	66 km								[signature]			तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	

फोटो प्रति प्रमाणित

FORM NO.1

प्रपत्र संख्या (1)

Vehicle's Log Book

व्हीकल लॉग बुक

मोटर गाड़ी संख्या Motor Vehicle No. RJ14 GT 1830

स्थान Station at तहसील कार्यालय पावटा

61

Date दिनांक	Time समय: Out प्रस्थान	Time समय: In वापसी	Details of Journey यात्रा का विवरण: From स्थान से	To स्थान को	Routes मार्ग	Milometer reading at Commencement of Journey प्रस्थान के समय गाड़ी मीटर का सूचक अंक	Milometer reading at the end of Journey यात्रा समाप्ति पर गाड़ी मीटर का सूचक अंक	Distance Travelled in Miles/Kilometer दूरी कि.मी./मील	Purpose of Journey यात्रा का उद्देश्य	Names of Persons & Particulars of goods व्यक्तियों अथवा सामान का विवरण जो ले जाया गया	Authority Marking journey यात्रा के अधिकृत कर्ता का नाम	Signature of User हस्ताक्षर प्रयोगकर्ता	Supplies सप्लाई: Petrol in Liters पेट्रोल लीटरों में	Lubricating Oils in Liters चिकनाई तेल आदि लीटरों में	Sundries i.e. grease etc. अन्य वस्तुएं ग्रीस इत्यादि	Signature of Driver हस्ताक्षर ड्राइवर	Recoveries to be effected if any: Amount रकम	Signature of Clerk हस्ताक्षर क्लर्क	Signature of Controlling Officer हस्ताक्षर नियंत्रण अधिकारी	Remarks विशेष विवरण
11/24	9:20	6:20	आफिस से ग्रामपुरा से			43125	43135	10 km					आदेश [illegible]				के तहत जारी			
			आफिस तक													[illegible]			तहसीलदार पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	

फोटो प्रति प्रमाणित

तहसीलदार, [illegible]

कार्यालय तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

क्रमांक/रीडर/2024/280

दिनांक– 16/10/24

भू0अ0नि0 मंढा
पटवार हल्का भांकरी

विषयः–तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार पावटा के पारित निर्णय की पालना में पटवार हल्का भांकरी के ग्राम दादा का बास में खसरा नम्बर 620 कुल रकबा 0.02 है किस्म गै0मु0 रास्ते में दीवार निर्माण कर किये गये अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमियो को बेदखल किया जाना है। परन्तु गैर सायलान के द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पावटा के आदेश कमांक 53/2024 के द्वारा स्थगन आदेश खसरा नम्बर 2561/2503 रकबा 0.50 किस्म वाणिज्यक प्रयोजनार्थ व खसरा नम्बर 2560/2503 रकबा 0.10 पर पेश किये है अत स्थगन से प्रभावित खसरा नम्बर 2560/2503 व खसरा नम्बर 2560/2503 के क्षेत्रफल को छोडते हुए खसरा नम्बर 620 किस्म गै0मु0रास्ता का अतिक्रमण किये क्षेत्रफल का चिन्हीकरण किया जाना है। भू0अ0नि मंण्ढा/प0ह0भांकरी/प0ह0पावटा/प0ह0नंण्ढा की संयुक्त रूप से टीम गठित कर उक्त खसरा नम्बरान् 620 किस्म गै0मु0रास्ता पर पुनः निर्धारित दिनांक 18.10.2024 तक उक्तानुसार सीमाज्ञान कर अतिकमण चिन्हित कर रिपोर्ट देना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रतिलिपीः–
1. संबधित कार्मिक श्री..................को पालानार्थ।
2. रक्षित पत्रावली।

भारतीय साक्ष्य अधि. के तहत जारी
फोटो प्रति प्रमाणित
तहसीलदार पावटा

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पावटा (...)

क्रमांक / रीडर / 2024 / 307 दिनांकः– 21/10/24

अजीत पुत्र धुणाराम

जाति जाट निवासी भाकरी

नोटिस

जरिये नोटिस आपकों सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम दादा का बास पटवार हल्का भांकरी तहसील पावटा के आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.70है0 किस्म गै0मु0रास्ता में 0.0150 है0 पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसें आप अपने स्तर पर दिनांक 24.10.2024 तक हटाना सुनिश्चित करे अन्यथा प्रशासन द्वारा पुलिस इमदाद की उपस्थिति में आपका अतिक्रमण 25.10.2024 को हटाया जायेगा जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होगे।

22/10/2024

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

भारतीय शास्त्र अधि. के तहत जारी

फोटो प्रति प्रमाणित

तहसीलदार पावटा

Revnue section tdr.paota.jpr@gmail.com

Letter 2024 916 | Page

फर्द मौका

राजस्व / 24 / 25/10/24

आज दिनांक 25/10/2024 को न्यायालय तहसीलदार महोदय पावटा के मिसल संख्या 20/2024 बउनवान पवन बनाम सरकार मिसल संख्या 19/2024 बउनवान मेहर सिंह बनाम सरकार मिसल संख्या 18/2024 बउनवान अजीत बनाम सरकार मिसल संख्या 17/2024 बउनवान गौरव बनाम सरकार मिसल संख्या 16/2024 बउनवान हरिकृष्ण बनाम सरकार में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मौजा दादा का बास के आ० खसरा नम्बर 620 किस्म गै०मु० रास्ता पर अतिक्रमण हटाने बाबत दिनांक 26/9/2024 को निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में मा० न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय पावटा के प्रकरण संख्या 53/2024 मेहर सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय 05/09/2024 में निर्देशित किया गया कि वाद ग्रस्त भूमि जिसका विवरण प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 2 में अंकित है सम्बन्ध में मौके की यथास्थिति को कायम रखें। मा० न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में कार्यालय पत्रांक/रीडर/2024/280 दिनांक 16/10/2024 से भू०अ०नि० मण्डा एवं पट० भांकरी को मा० न्यायालय के आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाने बाबत निर्देशित किया गया कि मद संख्या 2 में वर्णित ख०न० 2511/2503, 2580/2503 मौजा दादा का बास के खातेदारी को छोड़ते हुए पुनः ख०न० 620 गै०मु० रास्ता विवादग्रस्त पर स्थित अतिक्रमण को चिन्हित कर रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। आदेश की अनुपालना में भू०अ०नि० मंडा, प०ह० मण्डा, प०ह० भांकरी, प०ह० पावटा की संयुक्त टीम द्वारा ख०न० 620 गै०मु० रास्ते पर स्थित अतिक्रमण को चिन्हित कर रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। निर्णय की पालना हेतु अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटाने बाबत कार्यालय पत्रांक/रीडर/2024/307 से 311 दिनांक 21/10/24 से स्वयं के स्तर से अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिया गया था बावजूद इसके अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

(हस्ताक्षर) भू.मीणा (हस्ताक्षर) प० मण्डा (हस्ताक्षर) प० भांकरी (हस्ताक्षर) Shashi (हस्ताक्षर) पावटा

मालीय साहब के समक्ष जारी

तत्पश्चात आदेश क्रमांक/रीडर/2024/301 दिनांक 21/10/24 की अनुपालना में भू० अ० नि० मण्डा शशिधर यादव, प० हु० भांकरी विकास कौशिक, प० हु० मंडा मुकेश वर्मा, प० हु० पावटा महेश रावत, प० हु० खेलना जितेन्द्र चौधरी के साथ मय पुलिस जाब्ता ग्राम- दादाबाद के आ० खे० नं० 620 किस्म गै०मु० रास्ता के मौके पर पहुंचे।

मौके पर आ० खे० नं० 620 गै०मु० रास्ता पर स्थित अतिक्रमण, दीवार, तारबंदी का अवलोकन किया गया। मौके पर भी अतिक्रमियों को पुनः अतिक्रमण हटाने बाबत सूचित किया गया लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मौके पर कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आंशिक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कि गई। यह मौका मौके पर बनाया जाकर पढ़कर सुनाया गया एवं उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये।

प० मंडा — 25/10/2024 प० भांकरी — Shashi — प० खेलना

25/10/24 प० पावटा

GSO — भारतीय साक्ष्य अधि० में टंकित नहीं

फोटो प्रति प्रमाणित